

प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, समस्त।	प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, समस्त।
---	---

विषय: वर्ष 2021-22 में सह शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2021-22 में राजकीय सह शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य सरकार के पत्रांक प.18(5)त.शि/2004 दिनांक 13.5.14 की पालना में विद्यार्थियों से ली जाने वाली शुल्क संरचना में परिवर्तन किया गया है। जिसका गत तीन वर्षों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क में से 400/-रूपये प्रति छात्र की दर से राजकीय मद में जमा होगी। शिक्षण शुल्क की शेष राशि संस्थान विकास कोष में जमा होगी :-

मद	2019-20	2020-21	2021-22
राजकीय खाता			
प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	-	-	200
शिक्षण शुल्क *	4150.00	4150.00	4150.00
अराजकीय खाता			
विविध मद	1000.00	1000.00	1000.00
पुस्तकालय खुली पुस्तके (ओपन एक्सेस) शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00
विद्यार्थी क्लब/सभी शुल्क	500.00	500.00	500.00
खेलकूद शुल्क	500.00	500.00	500.00
विकास शुल्क	4150.00	4150.00	4150.00
अवधान द्रव्य छात्रों के लिए (केवल प्रवेश के समय)	1000.00	1000.00	1000.00
अवधान द्रव्य सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक की छात्राओं के लिए (केवल प्रवेश के समय)	500.00	500.00	500.00

नोट:-

- *राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित (जो आयकर नहीं देते) अनु. जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- राज्य सरकार के आदेशानुसार सत्र 2001-2002 से विकास शुल्क में रूपये 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी की वृद्धि की गई थी। इसका उपयोग कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय/साफ्टवेयर क्रय /मरम्मत एवं क्रमोन्वयन में नियमानुसार किया जावे।
- शुल्क (दो किशतों में) प्रथम किशत सत्र के प्रारम्भ में एवं दूसरी किशत द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर के प्रारम्भ तथा वार्षिक प्रद्वति को छात्रों के लिये शीतकालिन अवकाश के तुरन्त बाद लेना सुनिश्चित करावे।
- विविध मद में ली जाने वाली राशि में से विद्यार्थियों की बीमा राशि भी सम्मिलित है।
- कोविड-19 के चलते विद्यार्थी अध्ययनरत संस्थान के बचत खाते में रोकड़/बैंकर चैक/डी.डी./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से शुल्क जमा करवायेगे तथा राशि जमा करवाने का पूर्ण विवरण सहित संस्थान को किसी भी माध्यम से उपलब्ध करवायेगे।
- प्रधानाचार्य की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि प्राप्त शुल्क को विविध मद में समायोजित कर जमा करे।

भवदीय,

होल-

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

दिनांक:- 10/9/2021

क्रमांक:एफ-5(1-बी)प्राशनि/ई-2/2017-18/ 8010-016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.18(5)त.शि/2004 दिनांक 13.5.14 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन, राजकीय खैतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, /सहायक निदेशक (सांख्यिकी) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश एवं प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जोधपुर/जयपुर/महिला जयपुर।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

For Students Admitted in First Year (Engg.) 2021-22

First Year Polytechnic Diploma (Engg. Courses) Centralized Admission, 2021-22

सारणी-2 : प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में)

क्र. सं.	मद	राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस		राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस	
		प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त जनवरी में
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	200	--	200	--
2.	शिक्षण शुल्क	--	4150	-	--
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	1000	--	500	--
4.	विविध मद [परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय, बीमा शुल्क]	500	500	500	500
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	--	1000	500	500
6.	विद्यार्थी क्लब/विद्यार्थी सभा शुल्क	250	250	250	250
7.	खेलकूद शुल्क	250	250	250	250
8.	विकास शुल्क	2075	2075	2075	2075
	कुल	4275	8225	4275	3575
	कुल	12500		7850	

मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
	प्रथम किस्त प्रवेश के समय	दूसरी किस्त नवम्बर में
शिक्षण शुल्क	11000	11000
अवधान द्रव्य (पूरे पाठ्यक्रम के दौरान में केवल एक बार)	7500	-
विकास शुल्क	4400	4400
कुल	22900	15400
कुल	38300	

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

नोट :

- उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
- निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
- अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।
- सीट-आवंटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अंकित शुल्क में से केवल आंशिक शुल्क रु. 1000/- (प्रक्रिया शुल्क) जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशि नकद के रूप में अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
- विभिन्न प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्ट- I एवं II प्रस्तुत करें।